समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी **श्री नवीन प्रसाद शर्मा पे0 श्री नियोगी प्रसाद शर्मा, सा0 सुलतानपुर, थाना मोकामा, जिला मधेपुरा सम्प्रति- तत्कालीन थाना प्रभारी, चौसा** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना अंकित कर नहीं सनर्पित किया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 270/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल **अनुज्ञप्ति सं0-04/1991 (चौसा थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाव अबतक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना पक्ष कोई पक्ष रखा है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। संचिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 1993 तक नवीकृत एवं शस्त्र कय कर प्रस्तुत करने की अवधि 31-12-1993 तक निर्धारित की गई थी। उसके के बाद 20 वर्ष से अधिक बीत जाने के वावजूद भी कोई प्रयास नहीं किया है। इससे भी साफ पता चलता है कि अभी भी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विहिन हैं एवं शस्त्र की उन्हें आवश्यकता नहीं है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 140/निर्वा0, दिनांक 30.03.2014 के द्वारा श्री नवीन प्रसाद शर्मा का अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं रहने, शस्त्र विहीन रहने एवं शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहने के कारण अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की है। अनुज्ञप्तिधारी के इस तरह का कृत अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन के साथ-साथ मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए श्री नवीन प्रसाद शर्मा **पे0 श्री नियोगी प्रसाद शर्मा, सा0 सुलतानपुर, थाना मोकामा, जिला मधेपुरा सम्प्रति- तत्कालीन थाना प्रभारी, चौसा** के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल **अनुज्ञप्ति सं0-04/1991(चौसा थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 188 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 9-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री नवीन प्रसाद शर्मा पे0 श्री नियोगी प्रसाद शर्मा, सा0 सुलतानपुर, थाना मोकामा, जिला** पटना सम्प्रति- तत्कालीन थाना प्रभारी, चौसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

09/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।